

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:15449

**Court No. - 7**

**Case :- WRIT - B No. - 26363 of 2019**

**Petitioner :- Bhagwati Prasad Yadav And Ors.**

**Respondent :- D.D.C. Gonda And Ors.**

**Counsel for Petitioner :- Mohd. Mustafizul Haq, Danish Mujtaba**

**Counsel for Respondent :- C.S.C., Jai Kumar, Surya Prakash Singh**

with

**Case :- WRIT - B No. - 26174 of 2019**

**Petitioner :- Mewa Lal**

**Respondent :- Deputy Director Of Consolidation Gonda And Ors.**

**Counsel for Petitioner :- R.S.Pande, Ankit Pande, Mukesh Kumar Tewari**

**Counsel for Respondent :- C.S.C., Girish Chandra Sinha, Surya Prakash Singh**

**Hon'ble Saurabh Lavania, J.**

**C.M.Application No. IA/8/2022 (Application for Substitution) in Writ - B No. 26174 of 2019**

Heard.

Considering the contents of the affidavit filed in support of application, under consideration, this Court is of the view that the same is liable to be allowed. Accordingly, the application is ***allowed***.

Learned counsel for the petitioner(s) is permitted to carry out the necessary substitution, as prayed for, during course of the day.

**Order On Petition(s)**

1. Heard Sri R.S.Pande, learned Senior Advocate alongwith Mohd. Mustafizul Haq, learned counsel for the petitioners, Sri Hemant Kumar Pandey, learned counsel for the State as also Sri G.C.Sinha, Advocate, who appeared for Ram Vinod S/o Hanuman Prasad and Rishikesh Pathak S/o Late Sri Krishna Kumar (applicants of application for impleadment No. 175465 of 2021).

2. The issues involved in both the petition(s) are same as also the same orders passed by the authorities under U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (in short "Act of 1953") have been challenged in both the petition(s), as such, both the petitions were clubbed together and are being decided by this common order.

3. In the petition(s), petitioner(s) have challenged the order dated 03.09.2019 passed by the respondent No.1-Deputy Director of Consolidation, Gonda (in short "D.D.C.") and the order dated 29.09.2011 passed by the respondent Nos.2-Settlement Officer of Consolidation, Gonda (in short "S.O.C.") and the order dated 29.06.2010 passed by the respondent No.3-Consolidation Officer, Gonda (in short "C.O.").

4. Brief facts, which are relevant for the disposal of petition(s), under consideration, are as under:-

(i) The claim of parties to the petition(s) relates to land indicated in Khata No. 98 of the Basic year Khatauni of Village-Badgaon, Pargana, Tehsil and District-Gonda, which, at the time of filing of the objections under Section 9A(2) of the

Act of 1953, was recorded in the name of Ram Prasad (father of Bhagwati Prasad, Devi Prasad and Mahesh Prasad).

(ii) In Writ - B No. 26363 of 2019, Bhagwati Prasad is the petitioner No.1 and petitioner Nos. 2-Smt. Sitapati and 3-Kanhaiya Lal are descendants of Devi Prasad and petitioner No.4-Smt. Aneeta Yadava widow of Harish Chandra Yadava, as appears from the record, is also the descendant of Devi Prasad.

(iii) Mahesh Prasad S/o Ram Prasad was impleaded as private respondent No.4 in both the petitions, under consideration and during pendency of the petitions, legal heirs of Mahesh Prasad have been substituted.

(iv) Before the C.O., Mewa Lal, petitioner in Writ - B No. 26174 of 2019, claimed his rights over the land in issue by preferring an application/objection under Section 9-A(2) of the Act of 1953, registered as Case No. 1423.

(v) The objection of Mewa Lal was based upon the 'Will' executed on 13.09.1944 by Smt. Jhurri widow of Prithi Pal.

(vi) Before the C.O., predecessor-in-interest of petitioners in Writ - B No. 26363 of 2019 and private respondent No.4-Mahesh Prasad and the applicants of application for impleadment No. 175465 of 2021 namely Ram Vinod and Rishikesh Pathak namely Ram Prasad also preferred an application/objection claiming his rights over the land in issue indicated in Khata No. 98.

(vii) The claim of Ram Prasad was based upon the order dated 30.08.1954 passed by the Naib Tehsildar concerned, which reads as under:-

"हुक्म श्रीमान ए०पी० पान्डे नायब तहसीलदार महोदय गोण्डा मूल मिसिल नम्बरी 1423 मौजा बड़गाँव फै० 30-8-54 ई० मुकदमा दुरुस्ती कागजात मौजा बड़गाँव।

राम प्रसाद पुत्र लौटन अहिर सा० बड़गाँव, परगना व जि० गोण्डा  
.....वादी

प्रति

अयोध्या प्रसाद पुत्र बहोरी कुर्मी सा० बरदिहा परगना तहसील व जिला गोण्डा

.....प्रतिवादी

प्रार्थी की दरखास्त है कि भूमि नं० 66/40, 86/20, 250/31, 275/13, 293/28, 294/27, तथा 297/27 बाकाम मौजा बड़गाँव पर उस का कब्जा गत 4 साल से है परंतु कागजात में प्रतिवादी का नाम दर्ज है। अतः दुरुस्ती की जावे तलवी फरीकैन की गई। वावजूद तामील काफी प्रतिवादी हाजिर नहीं आया यह भूमि जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र के बाहर है और प्रधान को पार्टी बनाने का प्रश्न नहीं उठता। जमींदार रियासत बलरामपुर है जिस की रसीद लगान बावत सन् 1360फ० व 1361फ० बकाय वादी दाखिल मिसिल है।

सबूत में वादी ने लेखपाल व गवाहान पेश किए। इस के अतिरिक्त इस साल 1361 फसली भी पेश किया इस से प्रगट होता है कि वादी का कब्जा गत कई वर्षों से है।

अतः आदेश हुआ कि विवादित भूमि के खाते से अयोध्या प्रसाद का नाम खारिज होकर राम प्रसाद वल्द लौटन अहिर का नाम बहैसियत काश्तकार जिमन 4 मौरूसी लगान इन्द्राज खेतौनी दर्ज कागजात हो।

ह० अपठनीय  
ए०पी० पाण्डेय

30-8-1954"

(viii) Before the C.O. Mahesh Prasad was contesting the claim pertaining to land indicated in Khata No. 98 on behalf of Ram Prasad.

(ix) Ram Prasad executed a sale deed dated 25.11.2003 in favour of his own son namely Mahesh Prasad, during pendency of the proceedings before the C.O., which is apparent from the assertions made in Writ - B No. 26363 of 2019, according to

which, Ram Prasad died on 26.07.2009 and also from the order(s) impugned.

(x) Mahesh Prasad S/o Ram Prasad on 20.06.2019 sold the land in issue to applicants of application for impleadment No. 175465 of 2021 namely Ram Vinod S/o Hanuman Prasad and Rishikesh Pathak S/o Late Krishna Kumar Pathak, as indicated in the application.

(xi) The applicants namely Ram Vinod and Rishikesh Pathak, to whom the land in issue was sold on 20.06.2019 by Mahesh Prasad (died on 04.04.2020 after putting in appearance before this Court as caveator), are the persons to whom hearing should be provided and in view of above, right to hearing has been provided to these applicants, who are represented by Sri G.C.Sinha, Advocate, before this Court.

(xii) In view of facts, which would be considered for disposal of the petition(s), under consideration, this Court is of the view that only right of hearing would suffice to Ram Vinod and Rishikesh Pathak, who have entered into the shoes of Mahesh Prasad by virtue of sale deed dated 20.06.2019, and are represented by Sri G.C.Sinha, Advocate, and there is no need to provide time to file counter affidavit as the facts referred in the impugned order(s) cannot be improved by means of an affidavit.

(xiii) This Court is not inclined to issue notice to legal heirs of Mahesh Prasad and other private respondents in both the petition(s). It is for the reasons aforesaid particularly the fact that the land in issue was transferred/sold on 20.06.2019

by Mahesh Prasad and to whom the land in issue was transferred/sold namely Ram Vinod and Rishikesh Pathak are present before this Court through Sri G.C.Sinha, Advocate, and contesting for their rights over the land in issue.

(xiv) Further, the issuance of notice to the legal heirs of Mahesh Prasad and other private respondents, who in fact are formal respondents, would be futile exercise as after appearance they would not be in a position to dispute the facts of the case and this process would delay the disposal of present petition(s).

(xv) The C.O., after considering the material available on record including the evidence adduced by the parties, rejected the claim of Mewa Lal vide impugned order dated 29.06.2010 and allowed the claim of Mahesh Prasad. Relevant portion of the order dated 29.06.2010 reads as under:-

"उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना तथा वादी मेवालाल अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा सन् 1944 के आधार पर खाता सं० 98 मेवालाल पुत्र श्यामलाल के नाम जाना चाहिए तथा यह भी तर्क दिया है कि झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल की जमीन राम प्रसाद के नाम कैसे आयी। इसी प्रकार प्रतिवादी महेश प्रसाद के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सी०एच० 4 में कोई तनाजा नहीं बना है तथा मेवालाल पुत्र श्यामलाल जाति के कुर्मी है तथा वसीयतनामा को साबित करने के लिए गवाह या लेखक हाजिर नहीं हुए। तथा वसीयत में आराजी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। इसी प्रकार भगौती प्रसाद के अधिवक्ता ने यह तर्क रखा है कि राम प्रसाद मृतक के तीन लड़के हैं और विवादित भूमि पर तीनों वारिसानों का कब्जा व दखल है तथा विवादित भूमि राम प्रसाद को अयोध्या प्रसाद से प्राप्त हुई थी।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया वादी मेवालाल ने अपने वसीयतनामा वर्ष 1944 की नकल उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। जिसमें मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल कौम कुर्मी निवासी बडगांव ने मेवालाल वल्द श्यामलाल के हक में किया है परन्तु वसीयतनामा गवाहों या लेखक से वसीयतनामे को सत्यापित नहीं कराया है। और वसीयतनामा के गवाहों व लेखक को न प्रस्तुत करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत नकल उद्धरण खतौनी खाता सं०-17 सन् 1356 फसली प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल कोरी साकिन दे

हके नाम अंकित है। पुनः इनके द्वारा नकल खतौनी खाता सं०-14 सन् 1344 फसली प्रस्तुत किया है जो सन् 1356 में अंकित नम्बरों से मेल नहीं खाते हैं। मात्र एक नम्बर ही मेल खाते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा में कौम कुर्मी अंकित है। और इनके द्वारा प्रस्तुत नकले में कौम कोरी लिखा है। यह एक विचाराणीय प्रश्न है कि क्या कुर्मी ने कोरी की वसीयतनामा किया है। जबकि वादी ने अपने को मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल के लड़की का लड़का बताया गया है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कभी नहीं कहा गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह बाबूलाल व रामदेव के बयान पर प्रसाइडिंग आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं जो अपने में ही शून्य माना जाएगा। जबकि प्रतिवादी राम प्रसाद मृतक के वारिसान महेश प्रसाद ने नकल खतौनी सन् 1360 व 1371 व 1393 से 1398 व 1362 फसली प्रस्तुत करके यह साबित किया है कि विवादित भूमि पर बराबर मेरे पिता का कब्जा रहा है और इन्हीं के नाम ही दर्ज रहा है। इसके बावत खसरा भी प्रस्तुत किया है तथा लगान रसीद आदि से यह साबित किया गया है कि विवादित भूमि का लगान बराबर इनके पिता के द्वारा ही दिया जाता था। वादी मेवालाल द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवादी गलत ढंग से विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करा दिया है। परन्तु महेश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नकल आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वाद सं०-1423 ता० फैसला 30.8.54 के द्वारा राम प्रसाद पुत्र लौटन के नाम जिमन-4 मौहसी दर्ज हुआ है। प्रतिवादी द्वारा नकल सन् 1361 फसली की खतौनी प्रस्तुत किया जो अयोध्या प्रसाद पुत्र बहोरी साकिन बडडीहा के नाम अंकित रही थी। जो राम प्रसाद के नाम जिमन-4 मौहसी दर्ज हुआ है। इस पर वादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर या विरोध लिखित या मौखिक रूप से नहीं किया गया है। इसी प्रकार भगौती प्रसाद द्वारा अपने बयान व साक्ष्यों से यह साबित किया है कि राम प्रसाद मृतक के तीन लड़के हैं और महेश प्रसाद के पक्ष में राम प्रसाद किया गया बैनामा सिविल जज जू०डि० के न्यायालय पर विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि वादी मेवालाल के पक्ष में जो वसीयतनामा मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल ने किया था वह जाति के कुर्मी थी परन्तु इन्हीं द्वारा प्रस्तुत नकल सन् 1356 में झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल जाति कोरी अंकित है जो अपने आप में सन्देह पैदा करता है और इसी प्रकार वादी द्वारा अपने वसीयतनामे को गवाहों से सत्यापित भी नहीं कराया है। जबकि प्रतिवादी महेश प्रसाद ने अपने साक्ष्यों से यह साबित किया है कि विवादित भूमि पर उनके पिता राम प्रसाद का बराबर कब्जा रहा है और विवादित भूमि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.8.54 के द्वारा राम प्रसाद को प्राप्त हुआ था जो पूर्व में अयोध्या प्रसाद पुत्र बहोरी के नाम अंकित था। जहां तक राम प्रसाद मृतक के वारिश का प्रश्न है तो भगौती प्रसाद व महेश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत वर्तमान नकल खाता सं० 186 पर अंकित तहसीलदार के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि मृतक राम प्रसाद ने अपने जीवन काल में सम्पूर्ण आराजी का बैनामा महेश प्रसाद के पक्ष में कर दिया था। इसीलिए महेश प्रसाद को ही मृतक राम प्रसाद के वारिस बैनामेदार की हैसियत से मानना उचित होगा तदनुसार आपत्ति पत्र भगौती प्रसाद आदि निस्तारित किया जाता है। इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादी मेवालाल की आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है और आधार वर्ष खाता का इन्द्राज बदस्तूर रखने योग्य है। तथा गाटा सं० 66/0.40 व 86/0.20, पर वर्ग-09 का इन्द्राज निरस्त करने योग्य है। इस तरह वाद बिन्दु सं० 1 लगायत 3 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है। अतः आदेश हुआ कि—

आदेश

ग्राम बडगांव के आधार वर्ष खाता सं० 98 से मृतक राम प्रसाद पुत्र राम लौट के स्थान पर बैनामे के आधार पर महेश प्रसाद पुत्र राम प्रसाद ग्रामवासी का नाम बैनामेदार दर्ज रहेगा तथा आपत्ति मेवालाल बावत वसीयतनामा बलहीन होने के कारण निरस्त हो तथा गाटा सं० 66/0.40 व 86/0.20 पर वर्ग 9 का इन्द्राज व आपत्ति शिव गरुण निरस्त हो।

पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।"

(xvi) From the above quoted portion of the order dated 29.06.2010, it is apparent that Mewa Lal failed to prove the 'Will' dated 13.09.1944 by adducing appropriate evidence as required under the law and accordingly his claim was rejected.

(xvii) It also appears from the order dated 29.06.2010 that the land in issue in the khatuani of Fasli Year 1356 was recorded in the name of Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal and she executed the alleged 'Will' dated 13.09.1944 and died issueless.

(xviii) From the order dated 29.06.2010, it is also apparent that the claim of Mahesh Prasad was allowed by the C.O., after taking note of the facts pertaining to possession of Ram Prasad over the land in issue as also the order dated 30.08.1954 passed by the Naib Tehsildar and that Ram Prasad executed the sale deed in favour of Mahesh Prasad.

(xix) The order dated 29.06.2010 was challenged before the appellate court i.e. respondent No.2/S.O.C. by instituting two appeal(s) under Sections 11(1) of the Act of 1953, registered as Appeal No. 1040 (Mewa Lal vs. Mahesh

Prasad & Others) and Appeal No. 1031 (Bhagwati Prasad & Others vs. Mahesh Prasad).

(xx) The respondent No.2/S.O.C. dismissed both the appeals vide impugned order dated 29.09.2011 and set aside the order of C.O. dated 29.06.2010. By the order dated 29.09.2011, respondent No.2/S.O.C. directed the revenue officials to enter the name of Gaon Sabha in the revenue record of the land in issue. The relevant portion of the order dated 29.09.2011 passed by the respondent No.2/S.O.C. reads as under:-

"उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों अपीलें एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः निर्णय की सुगमता हेतु दोनों अपीलों को समेकित कर अपील संख्या 1040 मुख्य पत्रावली मानी जाती है।

अपीलांट मेवा लाल के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित भूमि आधार वर्ष खाता संख्या 98 में राम प्रसाद पुत्र राम लौटन के नाम अंकित है। धारा 9क (2) के अंतर्गत मेवा लाल ने आपत्ति प्रस्तुत किया कि खाता 98 के गाटों को वसीयतनामा के आधार पर उसके नाम अंकित किया जाय। दूसरी आपत्ति राम प्रसाद ने प्रस्तुत की कि गाटा 66/0-40, 86/0-20 पर उसका कब्जा है अतः इन गाटों को उसके नाम अंकित किया जाय। तीसरी आपत्ति शिव गरुण ने विवादित भूमि को अपने नाम अंकित करने के लिए आपत्ति प्रस्तुत की थी। शिव गरुण ने आपत्ति खारिज होने के उपरान्त कोई अपील नहीं की है। खाता संख्या 98 की पूर्व खातेदार मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल ने अपीलांट के पक्ष में अपने जीवन काल में समस्त चल अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 13-9-44 को लिख कर पंजीकृत करा दिया। मु० झुर्रा के मरने के बाद अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज व अधिकारवान हुआ। विपक्षी राम प्रसाद के पिता ने हेरा फेरी करके खाते पर अपना नाम अंकित करा लिया। वसीयतनामा के हासिया गवाह व लेखक की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है इसलिए उन्हें न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सका। अपीलांट ने लिखित साक्ष्य में एस०डी०ओ० गोण्डा, अपर आयुक्त फैजाबाद मण्डल, मा० राजस्व परिषद इलाहाबाद के आदेशों की प्रति तथा वसीयतनामा का हिन्दी रूपान्तर, नकल खतौनी 1356 फ०, 1344 फ० दाखिल किया है जिसमें विवादित भूमि मं० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल व पृथ्वीपाल पुत्र बहोरी के नाम अंकित थी। मौखिक साक्ष्य में राम देव व बाबू लाल का बयान अंकित कराया है। गवाहों ने कहा है कि अपीलांट मु० झुर्रा के लड़की का लड़का है। मु० झुर्रा ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में लिखा है। अवर

न्यायालय ने वसीयतनामा को इसलिए नहीं माना कि वसीयतनामा हाशिया गवाह व लेखक द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया है। राम प्रसाद के लड़के महेश प्रसाद ने अपने बयान में तथा उसके पिता ने भी एस0डी0ओ0 गोण्डा के न्यायालय में यह बयान दिया है कि विवादित आराजी बलरामपुर रियासत से प्राप्त हुई। राम प्रसाद के मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आराजी का बैनामा महेश प्रसाद ने करा लिया। राम प्रसाद ने और दोनों लड़कों को बैनामा क्यों नहीं किया इसका कोई औचित्य नहीं है। विवादित भूमि मु0 झुर्रा के बाद राम प्रसाद व अयोध्या के नाम कैसे आई इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि खतौनी 1361 फ0 दाखिल है उसमें अयोध्या प्रसाद पुत्र बहोरी के नाम अंकित है जबकि 1356 फ0 में मु0 झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल के नाम अंकित है। राम प्रसाद ने जो बैनामा किया है उसके मंसूखी का वाद दीवानी न्यायालय में चल रहा है। विवादित भूमि के संबंध में वसीयतनामा के संबंध में वाद बिन्दु नहीं बनाया गया है तथा राम प्रसाद न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं आए। महेश प्रसाद जिरह में यह नहीं बता पाए कि उक्त आराजी उनके पिता को कैसे व कहां से मिली। दूसरे गवाह राम भवन ने भी विवादित भूमि के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। अवर न्यायालय ने अपीलांट के वसीयतनामा को न मान कर बैनामे के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम विवादित भूमि अंकित करने में त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित व मौखित साक्ष्यों का विधिवत अवलोकन नहीं किया है। महेश प्रसाद की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि राम प्रसाद को कैसे प्राप्त हुई अतः अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश 29-6-10 निरस्त करके खाता 98 पर अंकित राम प्रसाद पुत्र राम लौट का नाम खारिज करके पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट का नाम अंकित किया जाय।

अपीलांट भगौती प्रसाद आदि के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता राम प्रसाद के नाम अंकित है। राम प्रसाद के तीन लड़के भगौती प्रसाद, देवी प्रसाद व महेश प्रसाद हैं। राम प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त राम प्रसाद के तीनों लड़कों का प्रत्यास्थापन हुआ। तीनों भाइयों का 1/3 प्रत्येक अंश है। अवर न्यायालय ने बैनामा के आधार पर महेश प्रसाद का नाम अंकित कर दिया। कथित बैनामा के मंसूखी का वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। महेश प्रसाद राम प्रसाद के मुख्तार थे और बैनामा महेश प्रसाद के नाम हुआ है। बैनामा बिना प्रतिफल के किया गया है। राम प्रसाद ने अपने जीवनकाल में कोई बैनामा नहीं किया। विवादित भूमि सीरदारी की भूमि है जिसकी वसीयत नहीं हो सकती है। चकबन्दी अधिकारी ने विवादित भूमि अकेले महेश प्रसाद के नाम अंकित कर दिया जबकि उसमें तीनों भाइयों का अंश है। अतः अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाय तथा खाते में अपीलांट का 1/3 अंश कायम किया जाय। विद्वान अधिवक्ता ने एस0सी0डी0 1993 पृष्ठ 137, 2006 आर0डी0 पृष्ठ 250, 2005 (98) आर0डी0 पृष्ठ 371, पर दी गई विधि व्यवस्थाओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है।

विपक्षी महेश यादव के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित भूमि पहले मु0 झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल के नाम अंकित थी। मु0 झुर्रा जाति की कोरी है जैसा कि नकल खतौनी 1356 फ0 खाता संख्या 17 से स्पष्ट है। जो वसीयतनामा अपीलांट मेवा लाल के हक में है उसमें मु0 झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल जाति कुर्मी अंकित है। इस प्रकार खतौनी व वसीयतनामा के आधार पर दोनों बातें भिन्न भिन्न हैं।

अपीलांट का मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल जाति कोरी की जमीन से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। अपीलांट ने कथित वसीयतनामा के आधार पर मु० झुर्रा के मरने के उपरान्त नामान्तरण हेतु कोई दरखास्त चकबन्दी से पूर्व नहीं दिया और न 229 बी० की दरखास्त ही दिया जिससे मेवा लाल कहीं प्रतिवाद कर ही नहीं सकते हैं। विपक्षी महेश प्रसाद के पिता द्वारा 229 बी० का प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा कहीं भी प्रतिवाद नहीं किया गया है जिससे अपीलांट को चकबन्दी में लड़ने का अधिकार नहीं रह जाता है। विवादित भूमि सीरदारी की है सीरदारी भूमि के बावत वसीयत करने का प्राविधान नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि विपक्षी महेश को अयोध्या पुत्र बहोरी से तहसीलदार के वाद संख्या 1423 आदेश दिनांक 30-8-54 से प्राप्त हुई है। जिससे झुर्रा का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अयोध्या पुत्र बहोरी कोई विवाद कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं कर रहे हैं तो मेवालाल के लड़ने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेवालाल जाति के कुर्मी है और विवादित भूमि मु० झुर्रा जाति कोरी की थी जिससे मेवा लाल का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उत्तरदाता ने अपने लिखित साक्ष्यों से सिद्ध किया है कि वह ज०वि०अधि० के पहले से ही खातेदार चला आ रहा है और लगान भी जमा कर रहा है। विवादित भूमि से अपीलांट का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। विवादित भूमि के संबंध में सी०एच० 4 में कोई तनाजा नहीं बना है। मेवा लाल सीधे लड़ रहे हैं। यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में कोई भी ऐसा विधान वसीयतनामा के लागू होने का नहीं दिया गया है जिससे उनका वसीयतनामा किसी भी आधार पर प्रीवेल नहीं करता है न ही कोई विधान ही है। जेड० ए० ऐक्ट के पहले कोई भी विधान नहीं है वसीयतनामा के बाबत। अतः अपीलांट की अपील निराधार है निरस्त किया जाय।

सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि 1356 फ० में मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल कौम कोरी के नाम जिमन 4 असामियान के रूप में अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि मु० झुर्रा के बेवा पृथ्वीपाल विवादित भूमि की असामी थी। किसी भी असामी सीरदार को अपनी असामी अथवा सीरदारी वाली भूमि का वसीयतनामा अथवा बयनामा लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार मुझ झुर्रा द्वारा अपीलांट मेवालाल के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा वसीयतकर्ता के अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण उक्त वसीयतनामा शून्य माना जाएगा और शून्य वसीयतनामे के आधार पर अपीलांट मेवा लाल को कोई स्वत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। विपक्षी महेश प्रसाद के पक्ष में च०अ० द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि महेश प्रसाद के पक्ष में उनके पिता राम प्रसाद द्वारा प्रश्नगत भूमि का बयनामा किया जाना कहा जा रहा है, किन्तु उक्त बयनामा दिनांक 25.11.03 को निष्पादित किया जाना बिक्रयपत्र में अंकित है। विक्रेता राम प्रसाद द्वारा पत्रावली पर नायब तहसीलदार, गोण्डा के आदेश दिनांक 30.8.54 की अप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करके अपने को विवादित भूमि का जिमन-4 असामी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, किन्तु उक्त आदेश किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं है। इससे नायब तहसीलदार के तथाकथित आदेश पर न तो विश्वास किया जा सकता है और न ही राम प्रसाद पुत्र लौटन को विवादित भूमि का असामी अथवा सीरदार माना जा सकता है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित कथित आदेश 30.8.54 उनके अधिकार क्षेत्र से परे था, क्योंकि अनाधिकार कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नायब तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि

का सीरदार/असामी घोषित नहीं किया जा सकता है और अधिकार क्षेत्र से परे पारित किया गया आदेश शून्य माना जाएगा। इस प्रकार शून्य आदेश के आधार पर राम प्रसाद को प्रश्नगत भूमि के विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं था जैसा कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा ए०सी०जे० 2004 पृष्ठ 787 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उपरिवर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि जब राम प्रसाद ही विवादित भूमि के भूमिधर नहीं थे और उन्हें उक्त भूमि के विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था तो उनके द्वारा किए गए विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता महेश प्रसाद को कोई स्वत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.10 अविधिक है और निरस्त किए जाने योग्य है उभय पक्ष को स्वीकार है कि मु० झूरी की मृत्यु लावारिस हुई है और उनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी विवादित भूमि के संबंध में अपना दावा पेश नहीं किया है और दावा प्रस्तुत करने वाले अपीलकर्तागण अपना स्वत्व सिद्ध करने में असफल रहे हैं इसलिए उक्त दोनों अपीलें एवं च०अ० द्वारा पारित आदेश 29.6.10 निरस्त करके विवादित भूमि धारा 11 (सी) च०अ० के अंतर्गत गांव सभा के पक्ष में निहित किए जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त दोनों अपीलें व च०अ० का आदेश दिनांक 29.6.10 निरस्त करके विवादित भूमि गांव सभा के खाते में निहित करने का आदेश पारित किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों तथा पत्रावली के साक्ष्यों पर समग्र विचारोपरान्त मेरा निष्कर्ष यह है कि यह तथ्य उभय पक्ष को मान्य है कि विवादित भूमि 1356फ० की खतौनी में मु० झूरी बेवा पृथीपाल कोरी के नाम ज़िम्न 4 में अंकित है। अपीलांत मेवा लाल इस भूमि पर 1944 के वसीयतनामा के आधार पर, विपक्षी कब्जे/नायब तहसीलदार के आदेश के आधार पर तथा अपीलांत भगौती पिता राम प्रसाद के विरासत/अंश की मांग कर रहे हैं। विपक्षीगण महेश आदि के पिता राम प्रसाद के स्वत्व का आधार नायब तहसीलदार द्वारा वाद संख्या 1423 में पारित आदेश दिनांक 30.8.54 है, जिससे कब्जे के आधार पर स्वत्व मिला है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.8.54 को उनके अधिकार क्षेत्र से परे था, क्योंकि अनाधिकार कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नायब तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि का सीरदार/असामी घोषित नहीं किया जा सकता है और अधिकार क्षेत्र से परे पारित किया गया आदेश शून्य माना जाएगा। इस प्रकार शून्य आदेश के आधार पर राम प्रसाद को विवादित भूमि के विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं था, जैसा कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा ए०सी०जे० 2004 पृष्ठ 787 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जब राम प्रसाद ही विवादित भूमि के भूमिधर नहीं थे और उन्हें उक्त भूमि के विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उनके द्वारा किए गए विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता महेश प्रसाद को कोई स्वत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। जहां तक मु० झूरी द्वारा मेवा लाल के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा का प्रश्न है, नकल खतपैनी 1356 फ० खाता संख्या 17 मु० झूरी बेवा पृथीपाल कोरी के नाम ज़िम्न 4 में अंकित है। जो वसीयतनामा दाखिल किया गया है, उसमें मु० झूरी बेवा पृथीपाल कोम कुर्मी अंकित है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वसीयतनामा खाता 17 की खातेदारिया मु० झूरी बेवा पृथीपाल कोरी द्वारा निष्पारित किया गया है। यदि यह मान भी लिया जाय कि वसीयतनामा खाता 17 की खातेदारिया मु० झूरी बेवा पृथीपाल कोरी द्वारा ही किया गया है, तब भी उस वसीयतनामा के आधार पर अपीलांत को कोई स्वत्व नहीं प्रदान किया जा सकता है,

क्योंकि विवादित भूमि जिमन 4 में अंकित है और जिमन 4 की भूमि को वसीयत करने या बेचने का अधिकार खातेदार को नहीं है।

जब राम प्रसाद के स्वत्व का आधार नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.8.54 शून्य है तब राम प्रसाद को विवादित भूमि का बयनामा करने का अधिकार नहीं था और उनके द्वारा किया गया बयनामा शून्य हो जाता है। शून्य बयनामा के आधार पर महेश प्रसाद व भगौती आदि की स्वत्व की याचना विधितः अनुचित है। इसके अतिरिक्त जब मु0 झूरी को वसीयतनामा करने का अधिकार नहीं था, तब इस वसीयतनामा के आधार पर मेवा लाल के स्वत्व की मांग भी अविचारणीय है। चकबन्दी अधिकारी ने राम प्रसाद द्वारा निष्पादित बयनामे के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो विधिअनुकूल नहीं है। उभय पक्ष को स्वीकार है कि मु0 झूरी बेवा पृथीपाल की मृत्यु लावारिस हुई है उनका कोई वैधानिक उत्तराधिकारी विवादित भूमि के संबंध में अपना दावा पेश करने नहीं आया है, इसलिए विवादित भूमि को नवीन परती गांव सभा में निहित किया जाना ही समीचीन है। यद्यपि गांव सभा की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, किन्तु धारा 11(सी) जो0च0अधि0 के अंतर्गत गांव सभा सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है। तदनुसार दोनों अपीलें निराधार हैं और निरस्तेय हैं। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत उभय पक्षों के तर्क व व्यवस्थाएं असंगत व अप्रयोज्य हैं।

#### आदेश

अतः मेवा लाल व भगौती प्रसाद आदि की अपीलें निराधार होने के कारण निरस्त की जाती हैं। चकबन्दी अधिकारी का आदेश दिनांक 29.6.10 निरस्त किया जाता है। विवादित भूमि गांव सभा/परती के खाते में अंकित हो। तदनुसार अभिलेख दुरुस्त हो। यही आदेश अपील संख्या 1031 पर भी लागू होगा।

पत्रावली बाद अनुपालन अभिसंचित हो।"

(xxi) The above quoted portion of the order dated 29.09.2011 indicates that Mewa Lal failed to prove the 'Will' dated 13.09.1944 by adducing appropriate evidence as required under the law.

(xxii) It is also apparent from the order dated 29.09.2011, quoted above, that in the khatauni of Fasli Year 1356, which is relevant for the rights available under Chapter-II of U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950, the name of Smt. Jhurri, widow of Prithi Pal, was recorded in Ziman-4 (जिमन - 4), which means an occupier without any title, and based upon the same the respondent No.2/S.O.C. observed in the order dated

29.09.2011 that the land recorded as Ziman-4 (जिमान - 4) neither can be bequeathed nor transferred.

(xxiii) Respondent No.2/S.O.C. in the order dated 29.09.2011, quoted above, based upon the caste of Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal, mentioned in the Khatuani i.e. 'Kori' and the caste i.e. 'Kurmi', mentioned in the 'Will' dated 13.09.1944 (the basis of claim of Mewa Lal) also observed that it cannot be said that the 'Will' dated 13.09.1944 in relation to land in issue was executed by Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal. Thus, doubted on the 'Will' dated 13.09.1944.

(xxiv) From the order dated 29.09.2011, it also transpires that respondent No.2/S.O.C. for rejecting the claim of Mahesh Prasad and others specifically observed that (i) the rights/title cannot be provided by the Naib Tehsildar to an unauthorized occupant on the basis of possession, (ii) the order dated 30.08.1954 passed in Case No. 1423 was without jurisdiction and as such, the same should be treated as nullity/void and (iii) when Ram Prasad was not the bhumidhar of disputed land, he was not having any rights to sale the said land and thus, title can not be provided Mahesh Prasad.

(xxv) It also appears from the order dated 29.09.2011, quoted above, that after taking note of undisputed fact that Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal expired issueless and no legal heir came forward to claim the rights over the land in issue and Section 11-C of the Act of 1953, according to

which the Consolidation Authorities are under obligation to save the interest of Gaon Sabha even though no objection, appeal or revision has been filed by such Government, Gaon Sabha, body or authority, the respondent No.2/S.O.C. directed the revenue officials to record the land in issue in the name of Gaon Sabha.

(xxvi) Challenging the order dated 29.09.2011, three revisions were filed under Section 48(1) of the Act of 1953 i.e. Revision No. 273/2011530830000003 (Mahesh Prasad Yadav vs. Gram Sabha), Revision No. 278/2011530830000004 (Bhagauti Prasad & Others vs. Gram Sabha & Others) and Revision No. 280/2011530830000007 (Mewa Lal vs. Mahesh Prasad & Others).

(xxvii) The revisional authority i.e. respondent No.1/D.D.C. vide impugned order dated 03.09.2019 rejected the claim of Mewa Lal, petitioner in Writ - B No. 26174 of 2019, and the petitioners in Writ - B No. 26363 of 2019 namely Bhawagwati Prasad Yadav, Smt. Sitapati, Kanhaiya Lal and Smt. Aneeta Yadava and allowed the claim of Mahesh Prasad. The relevant portion of the order dated 03.09.2019 reads as under:-

*"उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से विदित है कि विवादित आराजी पर निगरानीकर्ता महेश प्रसाद के पिता राम प्रसाद के स्वत्व का आधार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वाद संख्या-1423 निर्णय दिनांक 30-08-54 है जिनको कब्जे के आधार पर स्वत्व मिला है जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति अथवा ग्राम सभा द्वारा कोई चारा जोई नहीं की गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप नायब तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक 30-08-54 अन्तिम अवधारित किये जाने योग्य है। राम प्रसाद का नाम लगातार खतौनी सन् 1360, 1362, 1371 व 1393 से 1398 से आज तक दर्ज होता चला आ रहा है, जो स्पष्ट करता है कि राम प्रसाद का स्वत्व विवादित भूमि में निर्विवाद रूप से स्पष्ट है, जिसे वर्तमान में खारिज किया जाना किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं है। जहां तक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा धारा-11 (सी0)*

जो0च0अधि0 के अन्तर्गत ग्राम सभा सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान किये जाने की जो विवेचना करके आदेश दिनांक 29-09-11 पारित करके विवादित आराजी ग्राम सभा के खाते में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है वह मेरे विचार से विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध केश ला0 आर0 डी0 1974 पृष्ठ-97 मा0 उच्च न्यायालय सालिक राम बनाम बी0एस0 रावत डायरेक्टर आफ0 कन्शालीडेशन उत्तर प्रदेश आदि में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जो0च0अधि0 की धारा-9 तथा धारा-11ए के अन्तर्गत ग्रामसभा द्वारा आपत्ति अथवा अपील योजित न किये जाने की दशा में तृतीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित करने का अथवा ग्राम सभा में निहित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध आर0डी0 1975 पृष्ठ-61 एल0बी0 माननीय उच्चतम न्यायालय में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि ग्राम सभा ने जो0च0अधि0 की धारा-9, धारा-11ए तथा धारा-48 में कोई आपत्ति, अपील निगरानी नहीं प्रस्तुत की गयी है तो वाद के किसी परिक्रम पर कोई वाद योजित करने में सक्षम नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि ग्राम सभा द्वारा कोई आपत्ति जो0च0अधि0 की धारा-9 अथवा धारा-11(1) के अन्तर्गत अपील योजित नहीं की गयी है। तदनुसार आदेश बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उपरोक्त वर्णित केश ला0 के तथ्यों के विपरीत है। इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक 29-09-11 बावत विवादित भूमि ग्राम सभा के खाते में अंकित किये जाने का विधि सम्मत न होने के कारण हस्तक्षेप के योग्य है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके अन्तर्गत धारा-11 सी0 जो0च0अधि0 में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि के बावत लिखित खातेदार राम प्रसाद ने अपने जीवन काल में ही महेश प्रसाद जो इनके पुत्र हैं के पक्ष में पंजीकृत बैनामा कर दिया है। पंजीकृत बैनामा पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा नामान्तरण आदेश भी तहसील से पारित हो चुका है, जैसा कि उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1412-1417 में अंकित अमलदरामद से स्पष्ट है। राम प्रसाद की मृत्यु हो गयी है। चकबन्दी अधिकारी ने महेश प्रसाद को ही मृतक राम प्रसाद के वारिस बैनामेदार की हैसियत से मानने में कोई विधिक भूल नहीं किया है। यद्यपि निगरानीकर्तागण भगौती प्रसाद व देवी प्रसाद भी मृतक राम प्रसाद के पुत्रगण हैं किन्तु राम प्रसाद ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 25-11-03 को बैनामा महेश प्रसाद के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। ऐसी दशा में बैनामे के आधार पर विवादित भूमि केवल महेश प्रसाद को ही मिलेगी। भगौती प्रसाद व देवी प्रसाद को नियमानुसार विवादित भूमि नहीं मिल सकती है। चकबन्दी अधिकारी ने भगौती प्रसाद आदि की आपत्ति निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने भी भगौती प्रसाद आदि की अपील को निरस्त करने में कोई विधिक गलती नहीं की है। इस प्रकार महेश प्रसाद की निगरानी स्वीकार करके बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के द्वारा पारित प्रश्न गत आदेश दिनांक 29-09-11 में आंशिक संशोधन करके चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-06-10 यथावत किये जाने योग्य है तथा भगौती प्रसाद आदि की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

निगरानीकर्ता मेवालाल विवादित भूमि पर सन् 1944 के वसीयतनामा के आधार पर जो कि मु0 झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल के द्वारा निष्पादित किया गया है के आधार पर स्वत्व की मांग की गयी है। विवादित भूमि 1356 फ0 की खतौनी में मु0 झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल कोरी के नाम ज़िम्न-4 में अंकित है, और जो उक्त निष्पादित वसीयतनामा जो मेवालाल के पक्ष

में निष्पादित दाखिल किया गया है उसमें मु० झुर्रा बेवा पृथ्वीपाल कौम कुर्मी अंकित है। इस प्रकार उक्त कथित निष्पादित वसीयतनामा संदेह की परिधि में आ जाता है। इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गयी विवेचना तर्क युक्त एवं विधि सम्मत है। क्योंकि विवादित भूमि जमींदारी विनाश के पूर्व अर्थात् 01-07-1952 के पूर्व जिमन-4 में अंकित है। और जिमन-4 में अंकित भूमि के स्थानान्तरण का प्राविधान विधिक रूप से केवल सीर होल्डर (जमींदार) को ही प्राप्त है। जिमन-4 के काश्तकार को तदनुसार वसीयतनामा के निष्पादन व पंजीयन का अधिकार निहित नहीं है। इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा की गयी विवेचना विधि सम्मत है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में निगरानी महेश प्रसाद यादव में बल होने के कारण स्वीकार कर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने तथा विवादित भूमि महेश प्रसाद यादव के नाम बतौर बैनामेदार दर्ज किये जाने योग्य है तथा निगरानी भगौती प्रसाद आदि व मेवालाल बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-06-10 यथावत् किये जाने योग्य है। अतः आदेश पारित हुआ कि—

#### आदेश

निगरानी महेश प्रसाद यादव स्वीकार की जाती है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-11 निरस्त किया जाता है। महेश प्रसाद पुत्र राम प्रसाद के पक्ष में पारित आदेश चकबन्दी अधिकारी दिनांक 29-06-10 यथावत् किया जाता है। निगरानी भगौती प्रसाद आदि व मेवालाल बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की एक प्रति निगरानी संख्या-278 भगौती प्रसाद बनाम ग्राम सभा तथा निगरानी संख्या-280 मेवालाल बनाम महेश प्रसाद आदि पर रखी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।"

(xxviii) From the above quoted portion of the impugned order dated 03.09.2019, it is apparent that the claim of Mewa Lal was rejected as he failed to prove the 'Will' dated 13.09.1944 by adducing appropriate evidence as required under the law and allowed the claim of Mahesh Prasad after taking note of period of possession of four years over the land in issue of Ram Prasad prior to passing of order dated 30.08.1954 as also the order dated 30.08.1954 passed by the Naib Tehsildar, whereby the Naib Tehsildar provided the rights to Ram Prasad, who transferred the land to his own son namely Mahesh Prasad, and this Mahesh Prasad subsequently

transferred the land to the applicants namely Ram Vinod and Rishikesh Pathak, represented by Sri G.C. Sinha, Advocate.

5. In the aforesaid background of the case, two following questions/issues are to be answered by this Court:-

*"(a) Whether the claim of Mewa Lal, based upon the 'Will' dated 13.09.1944, is justified and is liable to be allowed?*

*(b) Whether in allowing the claim of Mahesh Prasad, the C.O. as also the D.D.C. committed error in law and fact both?"*

6. So far as the Question No.(a) i.e. *"Whether the claim of Mewa Lal, based upon the 'Will' dated 13.09.1944, is justified and is liable to be allowed"*, is concerned, this Court is of the view that the claim of Mewa Lal based upon the 'Will' dated 13.09.1944 is not liable to be allowed. It is for the following reasons:-

(i) Undisputedly, in the khatauni of Fasli Year 1356 the name of Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal, who executed the 'Will' dated 13.09.1944 in favour of Mewa Lal, was recorded in Ziman-4 (जिमान-4), which means an occupier without any title, and a person of such nature, as per law, is not empowered to execute a 'Will' or to transfer the property of such nature.

(ii) To controvert the aforesaid, learned counsel for the petitioner(s) has not placed any provision of law or any authority.

(iii) The 'Will', as per settled proposition of law including the judgment passed by this Court in **Writ - B No. 23043 of 2020 (Ghuru And Ors. vs. Addl.District Magistrate Finance/Revenue Kheri And Ors.)**, has to be proved strictly in terms of Section 63 of the Indian Succession Act, 1925 and Sections 68, 69, 90 & 90-A of the Evidence Act, 1872 and in the instant case, the 'Will' was not proved as per law including by producing the attesting witnesses, the author of the 'Will' and as such, the basis of claim itself was not proved by Mewa Lal and being so the claim of Mewa Lal based upon the 'Will' dated 13.09.1944 cannot be acceded, even if, it is presumed that under the law Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal was empowered to transfer the property.

(iv) Taking note of concurrent findings recorded in the impugned order(s) that Mewa Lal failed to prove the 'Will' dated 13.09.1944 by adducing appropriate evidence, this Court put a query to Sri Pande, learned Senior Advocate as to by which document it can be deduced that 'Will' dated 13.09.1944 was proved before the C.O. as per law.

(v) To the above query, Sri Pande, learned Senior Advocate, could not place any document before this Court from which it can be deduced that 'Will' was proved by producing attesting witness or if the attesting witnesses were not available, then in that event, by adducing appropriate evidence as per law.

(vi) The propounder is under obligation to prove the 'Will'. In this case, Mewa Lal failed to prove the 'Will' dated 13.09.1944 and in this regard, specific findings have

been recorded by the C.O., S.O.C. and D.D.C. and before this Court, no document has been placed from which it can be deduced that Mewa Lal proved the 'Will' dated 13.09.1944 as per law and accordingly this Court finds that claim of Mewa Lal based upon 'Will' dated 13.09.1944 was rightly rejected vide order dated 29.06.2010, affirmed vide order dated 29.09.2011 and 03.09.2019 by the authorities under the Act of 1953 namely C.O., S.O.C., and D.D.C., respectively.

7. In regard to Question No.(b) i.e. "*Whether in allowing the claim of Mahesh Prasad, the C.O. as also the D.D.C. committed error in law and fact both*", this Court is of the view that respondent No.3/C.O. and respondent No.1/D.D.C. while allowing the claim of Mahesh Prasad S/o Ram Prasad vide order dated 29.06.2010 and 03.09.2019, respectively, erred in law and fact both. It is for the following reasons:-

(i) Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal, undisputedly, died issueless.

(ii) Ram Prasad, father of Mahesh Prasad, was not the legal heir of Smt. Jhurri widow of Prithvi Pal and this fact is not in dispute.

(iii) Ram Prasad instituted a case for correction of records and in this case, he impleaded one Ayodhya Prasad. The case was instituted on the basis of alleged possession of four years over the property in issue and this

case was finally decided in favour of Ram Prasad vide order dated 30.08.1954 by the Naib Tehsildar.

(iv) The Naib Tehsildar on 30.08.1954 was not empowered, as per statutory provisions indicated in U.P. Land Revenue Act, 1901 (in short "Act of 1901"), to pass an order in the case for correction of records and this aspect can be deduced from the relevant provisions, which are extracted hereinunder:-

***"Edition (1957)***

***33. The Annual Register.-*** (1) *The Collector shall maintain the record-of-rights, and for that purpose shall annually, or at such longer intervals as the State Government may prescribe, cause to be prepared an amended [register mentioned in section 32.]*

*The [register] so prepared shall be called the annual register.*

(2) *The Collector shall cause to be recorded in the annual [register] all changes that may take place and any transaction that may affect any of the rights or interests recorded and shall therein correct any errors proved to have been made in the record-of-right or any annual register previously prepared.*

(3) *No such change or transaction shall be recorded without the order of the Collector or as hereinafter provided, of the Tahsildar or the Panchayati Adalat as constituted under section 42 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.*

*Amendment.- In sub-section (1) for the words "set of the registers enumerated in section 32" the words "register mentioned in section 32" and for the word "registers" occurring in paragraph 2 of sub-section (1) and in line 2 of sub-section (2) the word "register" and the present sub-section (3) have been substituted by Act I of 1951. Sch."*

***39. Correction of mistakes in the annual registers.-***

*Notwithstanding anything contained in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947, the Collector may, on his own motion and shall, on the application of any*

*person, correct any error or omission in the annual register."*

(v) Thus, the order i.e. order dated 30.08.1954, the basis of claim of Mahesh Prasad and other legal heirs of Ram Prasad [petitioner(s) in Writ - B No. 26363 of 2019], is nullity in the eyes of law being passed by the incompetent authority and being so ought not to have been relied upon for the purposes of providing the benefits to Mahesh Prasad.

(vi) Further, Naib Tehsildar was also not empowered to provide the rights over the property in issue on the basis of possession that too of only four years.

(vii) It is not clear from the record that how the name of Ayodhya Prasad came into light at relevant point of time.

(viii) The basis i.e. order dated 30.08.1954 itself is nullity and as such, the sale deed dated 25.11.2003 executed by Ram Prasad in favour of his son Mahesh Prasad is/was not having any force in law and being so the sale deed executed on 20.06.2019 by Mahesh Prasad in favour Ram Vinod and Rishikesh Pathak is also not having any force in law.

(ix) On the aforesaid aspect of the case, reference can be made to the maxim(s) i.e. *"Sublato Fundamento, Cadit Opus"* means "basis goes, superstructure goes" and *"Nemo Dat Quod Non Habet"* means "no one can give what they do not have".

(x) In view of aforesaid observations related to rights of Ram Prasad, the claim of petitioners namely Bhagwati Prasad Yadav, Smt. Seetapati, Kanhaiya Lal Yadav and Smt. Aneeta Yadav in Writ - B No. 26363 of 2019 is not sustainable.

Neither the claim of Mahesh Prasad and others including the applicants namely Ram Vinod and Rishikesh Pathak, who preferred the application for impleadment and are represented by Sri G.C. Sinha, Advocate, is also sustainable.

8. For the reasons aforesaid and after taking note of Section 11-C of the Act of 1953 and the principles embodied under Order 41 Rule 33 of C.P.C. this Court, in exercise of power under Article 226 of the Constitution of India, is of the view that interest of the Gaon Sabha is to be protected.

9. Accordingly, the claim of the petitioner(s) in the aforesaid petition(s) claiming the rights over the property in issue i.e. land recorded in Khata No. 98, as also the rights of Mahesh Prasad-predecessor-in-interest of the applicants, who preferred the application for impleadment, and are represented by Sri G.C. Sinha, Advocate, is hereby rejected and order of respondent No.2/S.O.C. dated 29.09.2011 is hereby restored. The revenue officials are directed to record the land of Khata No. 98 in the name of Gaon Sabha.

10. With the aforesaid, both the petition(s) are **dismissed**.  
No order as to costs.

**Order Date :- 21.2.2024**

Vinay/-